


फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी का नाम प्रकाश चन्द विपक्षी जेम खाई
 किस मुकद्दमा 21229 अ पत्रावली संख्या 32/24 सन _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>16/10/24</u> पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेसपो. को जरिये सम्मन/ नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद तलबी दि. <u>07/11/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">M सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली</p>	
	<p><u>07/11/24</u> पत्रावली पेश हुई। अ.दि. पन्. 34। वि. सं. 5307 का वकील पत्र अ.दि. को कम लेवा जैन का पेश किया गया। वरु में। वि. सं. 5307 का वकील पेश किया गया। पत्रावली वास्तु जवाब नं. 6, 7/तलबी नं. 1304, 8 दिनांक 20/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p>	<p>वि. दुर्गाबाई</p> <p>वि. खोली</p>
	<p><u>20/11/24</u> पत्रावली पेश हुई। अ.दि. पन्. 35। वि. सं. 8 कि रजि. ए.डी. प्राप्त निरन्तर मावली दिवस ही गई। अनुपस्थित रहे। अतः अनुपस्थित रहे पर इनके विरुद्ध एक्टरका कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्तु जवाब नं. 6, 7/ तलबी नं. 1304 दिनांक 11/12/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p>	<p>श्रीमदर</p>
	<p><u>11/12/24</u> अनुपस्थित/प्रतिवादी उप. नं. 1304 के लिये मौक्य चाहते हैं। अतः <u>अं.दि.</u> अक्षर दिनांक पत्रावली दि. <u>18/12/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">M (500) नवती</p>	

18/12/24
बहुलाय वादी / प्रतिगामी सप
के लिये मौका चाहते हैं। अतः एलबी/1/15/4
श्रवण दिया जाकर पत्रावली दिनांक 07/1/25
को पेश हो।

SDO मावली

07/1/25
बहुलाय वादी / प्रतिगामी सप, एलबी
के लिये मौका चाहते हैं। अतः एलबी/1/15/4
श्रवण दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/1/25
को पेश हो।

SDO मावली

24/1/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राथमिक मध्य
प्राथमिक अनुपस्थित। अधिवक्ता प्राथमिक मध्य
प्राथमिक को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। समय
साँध 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता प्राथमिक मध्य
प्राथमिक अब तक अनुपस्थित हैं। समय: अधिवक्ता
प्राथमिक मध्य प्राथमिक अनुपस्थित रहने पर प्राथमिक
का प्राथमिक पत्र अदम हाजरी अदम फँदी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फँसल सुधार होकर नम्बर
से कम हो।
निधि बुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली